

बिहार सरकार,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विभागीय : आदेश

आदेश संख्या 03

पटना-15, दिनांक:- 28.1.06

1/एम-1-138/2005

मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक ए0टी0आइ0 प्रोजेक्ट 31/05/1061 दिनांक 5.12.05 के आलोक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। Right To Information Act 2005 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रिय कार्यालयों तथा प्रमंडलों एवं अवर प्रमंडलों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता तथा अवर प्रमंडल पदासहायक अभियंता। क्रमशः अपने अपने प्रमंडलों एवं अवर प्रमंडलों के लोक सूचना पदासहायक सूचना पदाधिकारी के स्तर में नामित किया जाता है।

2. अधिनियम की धारा 19(1)(1) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो विवरित संश्लेषण में लोक सूचना अधिकारी से कोई निर्णय प्राप्त नहीं करता है या उसके निर्णय से असहमत है तो निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर लोक सूचना अधिकारी से उपर वरीष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विभाग के स्तर पर विभागीय सचिव एवं क्षेत्रिय स्तर पर मुख्य अभियंता को अपील पदाधिकारी के स्तर में नामित किया जाता है।

501/06

ज्योतीन्द्र नाथ पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव।

हापंक:- 48

पटना, दिनांक:- 28.1.06

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी पदाधिकारी/सभी प्रशासकीय पदाधिकारी/माननीय विभागीय। मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/आप्त सचिव/सचिव के सचिव तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रिय कार्यालयों के सूचना पट पर उपरोक्त हेतु संबंधित पदाधिकारी को सूचना-एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

501/06

ज्योतीन्द्र नाथ पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव।